जयपुर हादसे से बचा जा सकता था

भारत डोगरा

जयपुर के पास स्थित इंडियन ऑइल के तेल भंडार में लगी भीषण आग में अमूल्य मानव जीवन की क्षति के साथ अनेक अन्य जीव मारे गए। व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य, पर्यावरण व संपत्ति की तबाही हुई। स्वास्थ्य व पर्यावरण पर दीर्घकालीन दुष्परिणाम धीरे-धीरे सामने आ सकते हैं जिनके बारे में सतर्क रहना होगा। जयपुर की अधिक प्रभावित बस्तियों व भंडारण स्थल के आसपास के गांवों के लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी होती रहनी चाहिए ताकि कोई गंभीर समस्या पता चलने पर समय रहते उसका समुचित इलाज किया जा सके।

जयपुर त्रासदी से जुड़े बहुत व्यापक दुख-दर्द व समस्याओं से सबक लेकर इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। इस त्रासदी से जो मूल सवाल जुड़ा है वह यह है कि ज्वलनशील, विस्फोटक व अन्य खतरनाक पदार्थों का भंडारण सुरक्षित कैसे किया जाए। यह आधुनिक जीवन की एक मजबूरी बन चुकी है कि बहुत से ज़रूरी ज्वलनशील उत्पादों, विशेषकर तेल व गैस, का बड़े पैमाने पर भंडारण करना पड़ता है। पर इस भंडारण को सुरक्षित बनाने व इसमें बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए कई सावधानियां अपनाई जा सकती हैं। इन भंडारणों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना तो बहुत ज़रूरी है ही, पर साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि यदि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

इस संदर्भ में प्रायः सबसे आम राय यह दी जाती है कि ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण को रिहायशी इलाकों से दूर ले जाएं या कम से कम अधिक घनी आबादी के इलाकों से दूर ले जाएं। यह एक ऐसी सलाह है जिसे स्वीकार करने को तो सब तैयार हैं, पर इसे व्यावहारिक रूप देने में कई कठिनाइयां आती हैं। कई भंडार जो एक समय कम आबादी का क्षेत्र देखकर बनाए गए थे, आज घनी आबादी से घिर चुके हैं। बड़े शहरों की बढ़ती आबादी व महंगे किराए के कारण बहुत से प्रवासी मज़दूर आसपास के गांवों में भी रहने लगते हैं और वहां की आबादी भी घनी हो जाती है।

इस समस्या का एक अन्य समाधान यह हो सकता है कि अधिक भूमि का अधिग्रहण कर भंडारण किया जाए ताकि आसपास के काफी क्षेत्र को खाली रखा जा सके। पर इन दिनों अधिक भूमि का अधिग्रहण करना अपने आप में एक बड़ी समस्या बना हुआ है। अतः सैद्धांतिक तौर पर सही होने के बावजूद घनी आबादी में भंडारण स्थित न करने की मांग को व्यावहारिक रूप देना कठिन है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जहां तक संभव हो कम घनी आबादी का क्षेत्र चुना जाए पर कोई गारंटी नहीं है कि एक दशक बाद यह क्षेत्र घनी आबादी का क्षेत्र नहीं बन जाएगा।

तो फिर इस तरह की बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के अधिक असरदार उपाय और क्या हो सकते हैं? ऐसी दुर्घटनाओं की आशंका को कम करने के लिए हमें दो

तरह की कार्रवाई करनी होगी। ज्वलनशील, विस्फोटक व खतरनाक पदार्थों को हमें दो श्रेणियों में विभाजित करना होगा। पहली श्रेणी में वे पदार्थ हैं जो गैर ज़रूरी हैं। इनमें से जो अधिक खतरनाक हैं उनकी पड़ताल कर उनके भंडारण पर तुरंत रोक लगाई जा सकती है। उदाहरण के लिए भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट में सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना का कारण बनने वाले जिन खतरनाक रसायनों का भंडारण किया गया था, उनकी खासियत यह थी कि वे बहुत खतरनाक भी थे व गैर ज़रूरी भी। कुछ ऐसे खतरनाक पदार्थ भी हैं जिन पर चाहे पूरी तरह प्रतिबंध न लगे पर उनके उत्पादन व भंडारण में धीरे-धीरे कमी लाई जा सकती है। आतिशबाज़ी के निर्माण में काम आने वाले विस्फोटक पदार्थ इसी तरह के पदार्थ हैं। इनमें आग लगने या विस्फोट होने से भी कई छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यदि धीरे-धीरे जन चेतना बनाकर आतिशबाज़ी का उपयोग व उत्पादन कम किया जा सके तो प्रदूषण भी कम होगा व दुर्घटनाओं की संभावना भी।

दूसरी ओर, बहुत से ज्वलनशील पदार्थ ऐसे हैं जो आधुनिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके स्पष्ट उदाहरण तेल व गैस हैं। इनका भंडारण बहुत ज़रूरी है पर एक स्थान पर कितना भंडारण हो इसका निर्णय हमें ही करना है। उदाहरण के लिए यदि एक शहर के लिए एक करोड़ लीटर पैट्रोलियम उत्पादों का भंडारण करना हो तो यह निर्णय करना होगा कि यह एक स्थान पर किया जाए या दस अलग-अलग स्थानों पर किया जाए। फिर आगे यह निर्णय लिया जा सकता है कि इन दस स्थानों की आपस में दूरी कितनी हो और वे शहर की विभिन्न दिशाओं में हो या एक ही दिशा में।

यदि शहर के लिए ज़रूरी पूरा भंडारण एक ही स्थान पर होगा तो इससे बहुत बड़ी दुर्घटना का खतरा बना रहेगा, ऐसी दुर्घटना जिससे असहनीय क्षति हो सकती है। जयपुर की दुर्घटना से हुई क्षति हमारे सामने है। पर यदि हवा का रुख अनुकूल न होता तो इससे कहीं अधिक क्षति हो सकती थी। जितनी अधिकतम क्षति की आशंका जयपुर में व्यक्त की गई है (प्रतिकूल हवा की दिशा की स्थिति में) वह भयानक है। इतनी बड़ी दुर्घटना कभी नहीं होनी चाहिए। इस आशंका को दूर करने का उपाय यही है कि इतने अधिक ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण एक स्थान पर किया ही न जाए। अतः भंडारण स्थल पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ इस तरह के नियम बनने चाहिए कि एक स्थान पर तेल या किसी अन्य ज्वलनशील पदार्थ की अधिकतम भंडारण की सीमा क्या है। मान लीजिए कि यह बीस लाख लीटर है। इसका व्यावहारिक परिणाम यह होगा कि एक शहर जिसे एक करोड़ लीटर तेल के भंडारण की ज़रूरत है उसे यह भंडारण एक स्थान की जगह पांच स्थानों पर करना होगा। यदि ये पांच स्थान विभिन्न दिशाओं में होंगे तो इसका एक अन्य लाभ यह होगा कि शहर के विभिन्न स्थानों तक तेल व गैस पहुंचाने के लिए कम दूरी के परिवहन की ज़रूरत होगी। इस तरह एक ओर ईंधन व खर्च बचेगा वहीं दूसरी ओर ज्वलनशील पदार्थों की ढुलाई के दौरान जो दुर्घटनाएं होती हैं उनकी आशंका भी कम होगी।

इस समय अनेक तेल भंडारों के स्थान को बदलने की तैयारियां चल रही हैं। जयपुर दुर्घटना के बाद इसमें और तेज़ी आई है। इस बदलाव में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। अतः यह बहुत ज़रूरी है कि इस समय बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका को कम करने वाले निर्णय ही लिए जाएं ताकि हज़ारों करोड़ रुपए खर्च से हो रहे बदलाव सर्वोत्तम परिणाम दे सकें। ***(स्रोत फीचर्स)***

स्रोत सजिल्द

स्रोत के पिछले अंक

एक वर्ष सजिल्द रुपए 200.00। डाक खर्च रुपए 25.00 अतिरिक्त ।